न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–38 / 2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम तरूण सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1.9.2.2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–122 / म0नि0को0 दिनांक–22.01.2020 से प्राप्त नगर थाना कांड सं0–305 / 19 दिनांक 08.12.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन कार रजि0 नं0–UP1400-6743 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी तरूण सिंह, पिता–रंजीत सिंह को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा रात्रि गश्ती एवं छापामारी के क्रम में किलाघाट पहुँचने पर देखा कि सड़क के किनारे एक कार खड़ी थी। संदेहास्पद स्थिति और अगल–बगल किसी व्यक्ति के नहीं रहने पर उक्त कार रजि0नं0–UP1400-6743 की तलाशी के दौरान उक्त वाहन में काफी मात्रा में नेपाली शराब रखा हुआ पाया गया। गिनती करने पर कुल 1130 बोतल 300*ml* का बरामद हुआ, जिसे विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जब्त वाहन विपक्षी के द्वारा अभिनव काबरा, पिता–सुरेश काबरा निवासी कोटा राजस्थान को दिनांक 20.07.2018 को बेच दी थी। जिसका शपथ पत्र बना दिया गया था, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। वर्त्तमान में उक्त वाहन से कोई संबंध एवं लेना–देना नहीं है। अतः उनके विरूद्ध कार्रवाई समाप्त करने की कृपा की जाय। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन कार रजि0नं0–UP1400-6743 से भारी मात्रा में नेपाली देशी शराब 300*ml* वाला कुल 1130 बोतल बरामद हुआ, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी के विद्वान् अधिवक्ता की ओर से दाखिल कारण पृच्छा के समर्थन में कहा गया कि उन्होंने उक्त वाहन को पूर्व में ही दिनांक 20.07.2018 को बेच दिया जिसका शपथ पत्र संलग्न किया	

गयां है। परिवहन कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में अभी भी उक्त जब्त वाहन के स्वामी तरूण कुमार ही हैं और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वाहन के संबंध में दावा भी नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में नगर थाना कांड सं0–305/19 दिनांक 08.12.2019 में जब्त वाहन कार रजि0 नं0–UP1400-6743 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा